डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

सत्यमेव जयते

अ.शा. पत्र सं 14013/01/2020-रा.भा. (नीति) दिनांक : 17 सितंबर, 2020

प्रिय प्रदीप्त,

विषय : सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश।

हिंदी मास / पखवाड़े / दिवस के पुनीत अवसर पर मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से पुन: आपको और आपके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं असीम शुभकामनाएं देता हूं।

2. अनेक महत्वपूर्ण मंचों एवं शीर्ष स्तर की बैठकों में बार-बार राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज में सरल, सुबोध और स्वाभाविक रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में **कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें**, जिसे राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 20017/02/2018-रा.भा. (नीति)- पार्ट 15 दिनांक 03.10.2018 द्वारा सभी मंत्रालयों / विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया था।

3. **केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों को उल्लिखित करना उचित होगा –**

मद सं. 14.5 - सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी का अंतर कम करें।

मद सं. 14.6 - दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करें।

मद सं. 14.7 - दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ें।

मद सं. 14.9 - सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक है। कई बार अनुवाद कठिन भाषा में किया जाता है। इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए और अनुवाद की भाषा सरल सुनिश्चित करनी चाहिए।

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

मद सं. 14.12 - देश की भाषाओं से हिंदी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है, उसके उपाय किए जाएं|

4. कामकाज की भाषा में अत्यंत क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसका मानसिक प्रतिरोध बढ़ता है| बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा| सामान्यत: यह देखा गया है कि जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद कर प्रस्तुत किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है| अत: सरकारी कामकाज को हिंदी में मूल रूप से करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित करने की महती आवश्यकता है| मूल रूप से मसौदा तैयार करते समय उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाए जाएं ताकि हिंदी आम जन के लिए आसानी से समझ में आने वाली भाषा बन सके|

5. **हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना प्रासंगिक होगा :**

(i) का.ज्ञा. सं II/13034/23/75- रा.भा. (ग) दिनांक 17.3.1976

इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है| यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है| जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि लिखने वाला कहना क्या चाहता है|

(ii) शासकीय पत्र सं 1/14013/04/99-रा.भा. (नीति) दिनांक 30.06.1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक, पठनीय और बोधगम्य होनी चाहिए| इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे|

(iii) का. ज्ञा. सं. 1/14011/04/2010- रा. भा. (नीति-1) दिनांक 19.07.2010

इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें| अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए|

(iv) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक 26.09.2011

इस शासकीय पत्र में सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश दिए गए थे| सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रयोगकर्ता की हैसियत से, वे जिन शब्दों को हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे|

(v) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक 11.08.2016

इस शासकीय पत्र में केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी की सरलता, सहजता, सुगमता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करने और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोरित किया गया है|

6. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब **अनुच्छेद 343** के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के **अनुच्छेद 351** में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि " संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके|" इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए|

7. **अंततः मैं आप से पुनः अनुरोध ही नहीं, आग्रह करूंगा कि सरल हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं जिससे आपके अधिकारी /कर्मचारी सहज हिंदी में मूल लेखन- टिप्पणियां, मसौदे, पत्राचार इत्यादि करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हों|**

8. **मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संविधान द्वारा राजभाषा संबंधी दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप सभी सरल हिंदी का उत्तरोत्तर ही नहीं, अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करेंगे| इससे राष्ट्र के विकास की गति तेज होगी, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ आम जन को प्राप्त होगा| इस प्रकार हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, नवीन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे पाएंगे|**

जय राजभाषा ! जय हिंद!

शुभेच्छु,

सुमीत जैरथ 17/09/2020

(डॉ. सुमीत जैरथ)

श्री प्रदीप्त कुमार बिसोई,
सचिव,
डाक विभाग, डाक भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

15